भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1073
गुरुवार, 5 फरवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

अंबाला नागरिक विमानपत्तन का संचालन

1073. श्री वरुण चौधरीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हरियाणा के अंबाला नागरिक विमानपत्तन पर टर्मिनल भवन का निर्माण विमानपत्तन के लिए निर्धारित नियामक मानदंडों के अनुसार किया गया है और यदि हां, तो टर्मिनल भवन की यात्री संचालन क्षमता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा राज्य सरकार ने विमानपत्तन के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और यदि हां, तो उक्त लाइसेंस प्रदान करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है;
(ग) वाणिज्यिक विमानों के लिए उपलब्ध एप्रन बे (विमान पार्किंग स्थल) की अनंतिम संख्या कितनी है;
(घ) अंबाला नागरिक विमानपत्तन के कब तक चालू होने की संभावना है;
(ङ) अंबाला सिविल टर्मिनल भवन में तैनात कर्मियों की कुल संख्या कितनी है और पदक्रम क्या हैं; और
(च) उड़ानों के संचालन के लिए अभी भी लंबित अवसंरचना कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (च): अंबाला हवाईअड्डा भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के स्वामित्व में है, जहां हरियाणा सरकार सिविल एन्क्लेव विकसित कर रही है। इन हवाईअड्डों को उड़ान योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित किया गया था और इसके विकास के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। दिनांक 17.03.2025 की प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) समझौते के अनुसार एएआई अंबाला हवाईअड्डे के प्रचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

उड़ान 4.2 के तहत, आरसीएस मार्ग अर्थात अंबाला-श्रीनगर-अंबाला को 19 सीटों वाले विमान के प्रचालन के लिए फ्लाईबिग को अवार्ड किया गया था। यह मार्ग अब स्काईहॉप एविएशन प्राइवेट लिमिटेड हेतु नवीकृत है, जो विनियामक और परिचालन अपेक्षाओं को पूरा करने की प्रक्रिया में है और इन पूर्वापेक्षाओं और हवाईअड्डे की परिचालन तत्परता के पूरा होने के पश्चात यहां से उड़ान प्रचालन की संभावना है।

हवाईअड्डे के विकास कार्य पूरे हो गए हैं और सुरक्षा अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। यह एप्रन भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के अधिकार क्षेत्र में है, जिसमें से एक एप्रन बे का उपयोग वाणिज्यिक विमान प्रचालन के लिए किया जा सकता है। चूंकि अंबाला हवाईअड्डा नागरिक एन्क्लेव है, अतः डीजीसीए द्वारा एयरोड्रोम लाइसेंसिंग लागू नहीं है।

******